राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 856 दिनांक 11/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 211 / 15 अनवान पंखीदेवी बनाम मगाराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 09.05.18 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीनी – **1.श्रीमती पंखी देवी पत्नि श्री पदमाराम, जाति जाट निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर।**

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.मगराम 2.केसराराम 3.रेखाराम 4.मूलाराम पि. लिखमाराम, जाति जाट, निवासी बाछड़ाऊ 5.तहसीलदार चौहटन**

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – **श्री जेठाराम जाणी**

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

वाद बाबत 53,88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 211/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जेठाराम जाणी** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री ....** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन में खसरा सं. 668 रकबा 155.03 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.05.2018 को जारी की गई।

दस्तखत.......................
ओहदा.........................
सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	पंखीदेवी पत्नी पदमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	12.05	बा.सो.	0.61	हरा
		योग	**1**	**12.05**	बा.सो.	**0.61**	**हरा**
2	मगाराम, रेखाराम, मूलाराम पि.लिखमाराम, केसराराम पुत्र लिखमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	142.18	बा.सो.	7.15	गुलाबी
		योग	**1**	**142.18**	बा.सो.	**7.15**	**गुलाबी**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर</u>

राजस्व वाद सं. 211/2015

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादीनी – **1.श्रीमती पंखी देवी पत्नि श्री पदमाराम, जाति जाट निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर।**

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.मगराम 2.केसराराम 3.रेखाराम 4.मूलाराम पि. लिखमाराम, जाति जाट, निवासी बाछड़ाऊ 5.तहसीलदार चौहटन**

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री जेठाराम जाणी**

<u>अन्तर्गत धारा 53,88,188 RT Act.</u>

निर्णय

दिनांक :– 09.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बाछड़ाऊ में पेश हुई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । लोक अदालत / कोर्ट कैम्प में उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। वकील वादीनी उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव हम पक्षकारों की आपसी सहमति से तैयार किया गया है, जो हमे स्वीकार है। उसी अनुसार निर्णय किया जावे तो हम सहमत है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील वादीनी एवं उपस्थित पक्षकारों ने तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीनी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा **<u>ग्राम बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन में खसरा सं. 668 रकबा</u>**

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

155.03 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि_सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	पंखीदेवी पत्नी पदमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	12.05	बा.सो.	0.61	हरा
		योग	**1**	**12.05**	बा.सो.	**0.61**	**हरा**
2	मगाराम, रेखाराम, मूलाराम पि.लिखमाराम, केसराराम पुत्र लिखमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	142.18	बा.सो.	7.15	गुलाबी
		योग	**1**	**142.18**	बा.सो.	**7.15**	**गुलाबी**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बाछड़ाऊ मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

फर्द मौका

मुकाम - बाछड़ाऊ
दिनांक - 09.05.18

आज दिनांक 09.05.18 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/2018/भू.अ./01 दिनांक 15.03.18 की पालना में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व वाद सं. 211/15 अनवान पंखीदेवी बनाम मंगाराम वगैरा में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मय पटवारी हल्का मौके पर पहुँचा। उक्त वाद ग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में निम्न प्रकार इन्द्राज है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	मगा रेखा मूला पि. लिखमा पंखीदेवी पत्नी पदमाराम केसराराम पुत्र लिखमाराम कौम जाट सा० देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	155-03	बा.सोयम	7.76

उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर अरुबरू वादीगण, प्रतिवादीगण, व मौतबरान के निरीक्षण किया। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी गण के कब्जा काश्त, ढाणियां, पशुबाड़े को देखकर मौके पर किये गहे विभाजन अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जो इस प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	पंखीदेवी पत्नी पदमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	12-05	बा. सोयम	0.61	हरा
2.	मगाराम रेखाराम मूलाराम पि. लिखमाराम केसराराम पुत्र लिखमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	बाछड़ाऊ	668	142-18	बा. सोयम	7.15	गुलाबी

उक्त विभाजन संलग्न नक्शा में बरंग दर्शाते हुए तैयार किया गया नक्शे में बरंग दिखाते हुए वादीगण, प्रतिवादीगण, व उपस्थित मौतबरान को विभाजन प्रस्ताव समझाया गया। व हस्ताक्षर व अ.नि. करवाये गये।

(हस्ताक्षर) 9.5.18
ILR लीलसर

(हस्ताक्षर)
पटवारी बाछड़ाऊ

हस्ताक्षर वादी

(हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर प्रतिवादी

अ.नि. प्र.क्र.1   अ.नि. प्र.क्र.3   अ.नि. प्र.क्र.2

(हस्ताक्षर)
वकील वादी

हस्ताक्षर मौतबरान

अ.नि. पदमाराम

(हस्ताक्षर)
(रावताराम/उमेदाराम)

वनाराम
(वनाराम S/o अचलाराम)

सहायक कलक्टर (SDO) ...

तहसीलदार सहक -चौहटन

आंशिक नक्शा ट्रेसवार

मौजा - बाछड़ाऊ

पैमाना - 1" = 40 गट्ठा

तहसील - चौहटन

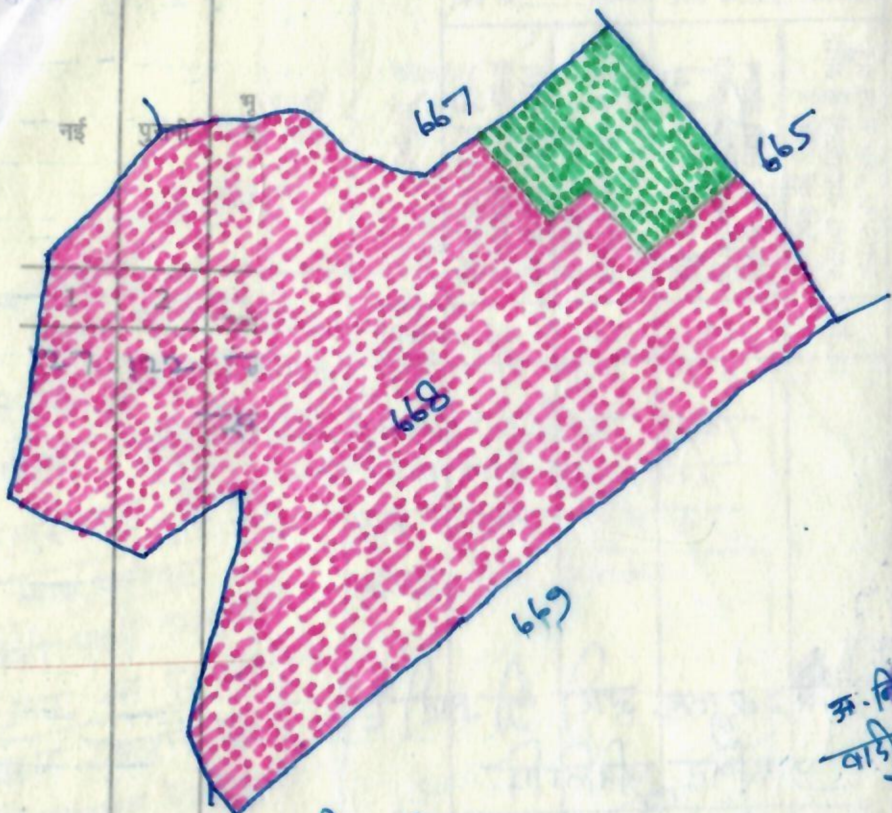

नोट:- लट्ठा ट्रैस कपफ़ुरा जीर्ण-शीर्ण होने से यथासंभव ट्रैस किया गया।

—: संकेत :—

नाम खातेदार	रंग
(1) पुंगीदेवी पत्नी पदमाराम कौम जाट सा० देह खातेदार	(हरा)
(2) मगाराम रेखाराम मूलाराम पि. लिखमाराम केसराराम पुत्र लिखमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	(गुलाबी)

पटवारी
प. बाछड़ाऊ

हस्ताक्षर वादीगण —

क्र.नि.
वादी सं. 1

हस्ताक्षर प्रतिवादीगण —

L.T.
प्रतिवादी सं. 1

L.T.
प्र. सं. 3

L.T.
प्र. सं. 4

वास्ते राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क जारी की जाती है।

हस्ताक्षर मौतबरान : —